न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 73/2024

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री जयकुमार पुत्र श्री कुमार चन्द जाति सिंधी, निवासी महावीर नगर, बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 15.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.09.2024 को श्री अनिल कुमार प्रवर्त्तन निरीक्षक, बाड़मेर के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स सांई शेख वाला, बाड़मेर शहर के व्यवसाय परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री जयकुमार पुत्र श्री कुमार चन्द जाति सिंधी, निवासी महावीर नगर बाड़मेर उपस्थित मिला। उक्त दुकान मे खाना बनाकर ग्राहको को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो चार घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस [illegible] (एचपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	698541T	HPCL	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
2.	8154421T	HPCL	24.100 Kg	16.700 Kg	7.400 Kg
3.	303017T	HPCL	19.000 Kg	15.900 Kg	3.100 Kg
4.	703106S	HPCL	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 4 घरेलू गैर सिलेण्डर को मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस, बाड़मेर के मैनेजर श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी गेहू, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौके [illegible] के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के [illegible] मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस, बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त चार गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:30 IST
Reason: SelfAttested